<u>विमान/हेलीकॉप्टर के क्रय–विक्रय नियम, 1999</u>

मध्यप्रदेश शासन

विमानन विभाग

मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

भोपाल, दिनांक 01 जनवरी, 2000

क्रमांक एफ 9–26–98–पैंतालीस.–राज्य शासन, मध्यप्रदेश के लिये विमान/हेलीकॉप्टर के क्रय–विक्रय हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है :–

1. **नाम एवं उददेश्य :**

   1. ये नियम मध्यप्रदेश शासन के लिये विमान/हेलीकॉप्टर के क्रय विक्रय नियम, 1999 कहलायेंगे.
   2. इनका उददेश्य राज्य शासन के विमान/हेलीकॉप्टर के क्रय की कर्यवाही को विनियमित करना है.

2. **राज्य शासन के लिये विमान/हेलीकॉप्टर का क्रय :**

   1. राज्य शासन के लिये नये विमान/हेलीकॉप्टर क्रय के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, मध्यप्रदेश शासन के लिये उपयोगिता, प्रदेश में स्थित हवाई पटि्टयों तथा आर्थिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में, विमानन संचालनालय के तकनीकी अधिकारियों के द्वारा और उनके अभिमत सहित तैयार किये जायेंगे.

   2. क्रय किये जाने वाले विमान/हेलीकॉप्टर के ब्रोशर उनके पुर्जे, उपकरणों की उपयोगिता, उनका मूल्य उनकी आवश्यकता तथा विमान तथा हेलीकॉप्टर के मूल्य से संबंधित प्रोफार्मा देयक निर्माता कम्पनी अथवा उनके भारत स्थित अधिकृत विक्रेता से प्राप्त किये जायेंगे. उक्त विमान/हेलीकॉप्टर के उचित संचालन/संधारण हेतु तकनीकी प्रशिक्षण, उस पर होने वाला व्यय इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख तथा संचालक विमानन तत्समय बाजार में उपलब्ध ऐसे विमान/हेलीकॉप्टरों का तकनीकी एवं आर्थिक पहलू को दृष्टिगत रखते हुये तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जो राज्य शासन की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त हो.

   3. संचालक अपना तुलनात्मक प्रतिवेदन ऐसे हेलीकॉप्टर/विमान के ब्रोशर, इनवॉइस मूल्य एवं अन्य तकनीकी जानकारी के साथ सर्वप्रथम निम्न समिति के समक्ष विचारार्थ रखेंगे :–

1.	संचालक विमानन	अध्यक्ष
2.	चीफ इंजीनियर/इंजीनियर (मे./रे.)	सदस्य

3. सीनियर पायलट विमान/हेलीकॉप्टर — सदस्य
4. प्रशासकीय अधिकारी/लेखाधिकारी — सदस्य सचिव

4. उक्त समिति राज्य शासन की आवश्यकता, प्रदेश में उपलब्ध एयर फील्ड्स एवं अन्य आनुषंगिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार कर संचालक के प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी. अनुमोदन उपरांत संचालक विमानन विस्तृत प्रस्ताव शासन के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे.

5. संचालक विमान से प्राप्त प्रस्ताव का विभाग परीक्षण कर विस्तुत टीप सहित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव अध्यक्षता में गठित निम्न समिति के अनुमोदन/अभिमत हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे :–

1. मुख्य सचिव — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, वित्त — सदस्य
3. प्रमुख सचिव, गृह — सदस्य
4. सचिव विमानन — सदस्य सचिव

यह समिति अंतिम रूप से यह तय कर सकेगी कि राज्य शासन के लिये कौन सा हेलीकॉप्टर/विमान किस मूल्य में किस प्रकार क्रय किया जायेगा. समिति के द्वारा की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में हेलीकॉप्टर/विमान क्रय करने का प्रशासकीय निर्णय लेने के उपरांत मंत्रीमंडलीय आदेश प्राप्त किये जायेंगे.

6. उक्त समिति के अनुमोदन के उपरांत विभाग द्वारा संबंधित फर्म के भारत स्थित अधिकृत विक्रेता से चर्चा कर अन्य शर्तों का निर्धारण कर करार निष्पादित किया जाकर विमान/हेलीकॉप्टर के क्रय की कार्यवाही की जायेगी.

3. विमान/हेलीकॉप्टर का विक्रय :

1. राज्य शासन के विमान/हेलीकॉप्टर विक्रय के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, संचालक विमानन द्वारा विमानन संचालनालय के अन्य तकनीकी अधिकारियों यथा चीफ इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर पायलट की सलाह से तैयार किये जायेंगे.

2. (ए) विक्रय किये जाने वाले विमान/हेलीकॉप्टर का आफसेट मूल्य का आंकलन किया जायेगा, जिसके लिये अन्य संस्थाओं यथा इंडियन एयरलाइन्स अथवा शासन के किसी अन्य उपक्रम के तकनीकी अधिकारियों का सहयोग लिया जायेगा.

2. (बी) आफसेट मूल्य का निर्धारण : विक्रय किये जाने वाले विमान/हेलीकॉप्टर के निर्माता द्वारा निर्धारित आयु, उसके उपयोग की गई अवधि, बाजार में प्रचलित मूल्य, भावी क्रेता के लिये उसकी उपयोगिता जैसे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये किया जायेगा.

3. विक्रय किये जाने वाले उक्त प्रस्ताव का परीक्षण निम्नानुसार गठित एस समिति द्वारा किया
जायेंगाः–

1. संचालक विमानन — अध्यक्ष

2.	चीफ इंजीनियर	सदस्य
3.	यंत्री (मे./रे.)	सदस्य
4.	विमान/हेलीकॉप्टर का वरिष्ठ पायलट	सदस्य
5.	प्रशासकीय अधिकारी/लेखाधिकारी	सदस्य सचिव

4. उक्त समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन उपरांत संचालक विमानन सम्पूर्ण प्रस्ताव उक्त समिति के अभिमत सहित शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे. उक्त समिति के अनुमोदन के उपरांत विभाग विक्रय किये जाने वाले विमान/हेलीकॉप्टर के लिये आवश्यक विज्ञप्ति देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाकर विक्रय की कार्यवाही करेंगा.

5. विक्रय किये जाने वाले विमान/हेलीकॉप्टर के विक्रय के प्रस्ताव विभाग द्वारा परीक्षण किये जाकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे :–

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
4.	सचिव विमानन	सदस्य सचिव

6. रूपये 10,00,000/– तक की आफसेट मूल्य की सामग्री के निवर्तन हेतु संचालक विमानन निविदा आमंत्रित करने हेतु सक्षम होंगे. इससे अधिक मूल्य की सामग्री का निवर्तन राज्य शासन द्वारा निविदा प्रकाशन के माध्यम से किया जायेगा.
7. संचालक स्तर से प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर प्राप्त निविदाओं का परीक्षण संचालनालय स्तर पर नियम (3) गठित समिति द्वारा किया जायेंगा तथा संचालक विमानन आवश्यक विक्रय प्रस्ताव शासन अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे.
8. रूप्ये 10.00 लाख से अधिक के आफसेट मूल्य की सामग्री का निवर्तन राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर किया जावेगा.
9. कंडिका 7 एवं कंडिका 8 में वर्णित प्रस्ताव यदि आफसेट मूल्य के परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्त होते हैं तो विभाग उन्हें कंडिका 5 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अंतिम निर्णय के लिये प्रस्तुत करेगा.
10. समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा सामग्री का निवर्तन किया जायेगा अथवा अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही की जायेगी.

निर्वचन : यदि उपरोक्त नियम के अनुगमन में कोई कठिनाई है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

ये नियम 1 जनवरी 2000 से प्रभावशील होंगे.

(आर.एन.बैरवा)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,